न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मनीष कुमार जाटव, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	25/2024
दायर दिनांक	:	03.05.2024
निर्णय दिनांक	:	03.07.2024

1. प्रेमरतन पुत्र महादेव जाति मीना, निवासी महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
2. रामस्वरूप पुत्र महादेव जाति मीना, निवासी महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
3. हरबक्स पुत्र महादेव जाति मीना, निवासी महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र मांगीलाल जाति मीना, निवासी महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
2. रणजीता पुत्र मांगीलाल जाति मीना, निवासी महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
3. कालू पुत्र मांगीलाल जाति मीना, निवासी महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
4. बद्री पुत्र सोनीराम जाति मीना, निवासी महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
5. रामप्रसाद पुत्र कन्हैया जाति मीना, निवासी महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
6. शंकर पुत्र कन्हैया जाति मीना, निवासी महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
7. श्योराम पुत्र कन्हैया जाति मीना, निवासी महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 157 रकबा 0.5700 है. के प्रार्थीगण खातेदार व काबिज काश्तकार हैं तथा उक्त भूमि पर मौके पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं तथा आज भी मौके पर उक्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज हैं। उक्त वर्णित भूमि के पास ही अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की कृषि भूमि है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 के मध्य सीमा विवाद है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि का दिनांक 07.06.2023 को सीमाज्ञान करवा लिया है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 आये दिन सीमा विवाद को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 157 रकबा 0.5700 है. की तहसीलदार दौसा से मय पुलिस जाब्ता के साथ पत्थरगढी करवाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी संख्या 8 तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड होने, प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान कर दिया जाने, किसी न्यायालय का स्थगन न होने, भूमि मौके पर खाली होने एवं पडौसी खातेदारों को सुना जाकर पत्थरगढी आदेश किया जाने का कथन किया।

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान भी किया जा चुका है। प्रश्नगत आराजी पर किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। पडौसी खातेदारों को सुना जाकर पत्थरगढी आदेश किया जाना उचित होगा। चूँकि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है एवं प्रश्नगत आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगनादेश नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम महेसरा खुर्द तहसील दौसा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 157 रकबा 0.57 है॰ का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)